A 4/7

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 37/2021

1 इलियास पुत्र याकूब, उम्र 62 वर्ष, जाति कसाई, निवासी नयासर, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0) 2. इशाक पुत्र याकूब, उम्र 60 वर्ष, जाति कसाई, निवासी नयासर, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनूं जिला झुंझुनूं (राज0)।
2. श्रीमती महबूबी, उम्र 59 साल पुत्री याकूब पत्नि इलियास, जाति कसाई, निवासी नयासर, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)
3. श्रीमती राजेश देवी उम्र 35 वर्ष पत्नि श्री महेन्द्र कुमार, जाति जाट, निवासी हुकमपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (राज0)

––रेस्पोडेन्ट्स

———

प्रथम अपील अ0धा0 75 राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 प्रथम अपील खिलाफ आदेश बअदालत तहसीलदार झुंझुनूं दिनांक 30.06.2020 नामान्तरकरण सं0 590 बाबत जमीन खसरा नं0 320 वाके ग्राम नयासर, तहसील व जिला झुंझुनूं।

———

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री द्वारका प्रसाद वर्मा, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री राजेश पूनिया, एडवोकेट–रेस्पोडेन्ट सं0 3 की ओर से उपस्थित।
4. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– राज्य सरकार (रेस्पो0 सं0 1) की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 11.01.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश नामान्तरकरण संख्या 320 दिनांक 30.06.2020 भूमि ग्राम नयासर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र मि0अ0 दफा 5 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र मि0अ0 दफा 5 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप मे अपील अपीलान्ट के अनुसार इस प्रकार है कि नामान्तकरण सं0 590 आदेश कानून, न्याय व पत्रावली है। वाके ग्राम नयासर, पटवार हल्का नयासर मे स्थित जमीन हाल खसरा नं0 320 किता 1 रकबा 1.81 हैक्टर भूमि की 1/8 हिस्से की खातेदार अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं0 2 की माता रैनना रही है। अपीलान्ट्स ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित व्यक्ति है। अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं0 2 मुस्लिम धर्म के सुन्नी शाखा के व्यक्ति है। अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं0 2 व अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं0 2 की अन्य चार बहनों के हक मे अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 590 मुस्लिम विधि के उत्तराधिकार नियमों के विरूद्व तस्दीक किया गया है। मुस्लिम विधि के तहत उत्तराधिकार मे माता/पिता की मुत्यु होने पर कृषि भूमि मे पुत्र का हिस्सा पुत्री से दुगुना होता है। अदालत मातहत द्वारा पुत्रों व पुत्रियों के हक मे बराबर हिस्से के अनुसार नामान्तरकरण विधि की भूल कारित कर तस्दीक किया गया है। भूमि खसरा नं0 320 मे अपीलान्ट्स की बहनों का अपीलान्ट्स की अन्य चार बहनों का अपीलान्ट्स के साथ बराबर का हक हिस्सा

जिला कलक्टर झुंझुनूं

A 4/2

व कब्जा काश्त नही रहा है। अपीलान्ट्स की अन्य चार बहनों द्वारा अपीलान्ट्स के हक मे भूमि खसरा नं0 320 मे स्वयं के हक हिस्से का हकत्याग जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग कर दिया है। उक्त चार बहनों का भूमि खसरा नं0 320 की बाबत कोई विवाद शेष नही है। इस कारण आवश्यक पक्षकार नही होने से अपील मे पक्षकार नही बनाया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने नामान्तरकरण सं0 590 गलत दर्ज होने के आधार पर स्वयं के हक व हिस्से व कब्जे से अधिक भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट सं0 3 को कर दिया है। रेस्पोडेन्ट सं0 3 द्वारा मौके पर रेस्पोडेन्ट सं0 2 के हक हिस्से व कब्जे से अधिक भूमि का विक्रय पत्र की आड मे कब्जा करने की कुचेष्टा की जा रही है। इस कारण अपीलान्ट्स को अपील पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश नामान्तरकरण सं0 590 दिनांक 30.06.2020 को निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम नयासर, पटवार हल्का नयासर मे स्थित जमीन हाल खसरा नं0 320 किता 1 रकबा 1.81 हैक्टर भूमि की 1/8 हिस्से की खातेदार अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं0 2 की माता ऐमना रही है। अपीलान्ट्स ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित व्यक्ति है। अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं0 2 मुस्लिम धर्म के सुन्नी शाखा के व्यक्ति है। अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं0 2 व अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं0 2 की अन्य चार बहनों के हक मे अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 590 मुस्लिम विधि के उत्तराधिकार नियमों के विरूद्व तस्दीक किया गया है। मुस्लिम विधि के तहत उत्तराधिकार मे माता/पिता की मुत्यु होने पर कृषि भूमि मे पुत्र का हिस्सा पुत्री से दुगुना होता है। अदालत मातहत द्वारा पुत्रों व पुत्रियों के हक मे बराबर हिस्से के अनुसार नामान्तरकरण विधि की भूल कारित कर तस्दीक किया गया है। भूमि खसरा नं0 320 मे अपीलान्ट्स की बहनों का अपीलान्ट्स की अन्य चार बहनों का अपीलान्ट्स के साथ बराबर का हक हिस्सा व कब्जा काश्त नही रहा है। अपीलान्ट्स की अन्य चार बहनों द्वारा अपीलान्ट्स के हक मे भूमि खसरा नं0 320 मे स्वयं के हक हिस्से का हकत्याग जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग कर दिया है। उक्त चार बहनों का भूमि खसरा नं0 320 की बाबत कोई विवाद शेष नही है। इस कारण आवश्यक पक्षकार नही होने से अपील मे पक्षकार नही बनाया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने नामान्तरकरण सं0 590 गलत दर्ज होने के आधार पर स्वयं के हक व हिस्से व कब्जे से अधिक भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट सं0 3 को कर दिया है। रेस्पोडेन्ट सं0 3 द्वारा मौके पर रेस्पोडेन्ट सं0 2 के हक हिस्से व कब्जे से अधिक भूमि का विक्रय पत्र की आड मे कब्जा करने की कुचेष्टा की जा रही है। इस कारण अपीलान्ट्स को अपील पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश नामान्तरकरण सं0 590 दिनांक 30.06.2020 को निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट्स के पिता याकूब का दिनांक 10.01.2011 को देहान्त होने पर 7 वारिसान इलियास, इसाक, जैतून, जरीना, महबूबी, एमना व सकीरा के नाम याकूब के समस्त वारिसान की मौजूदगी मे भरा जाकर प्रत्येक का 1/8 हिस्सा दर्ज हुआ जिस पर अपीलान्ट् व अन्य वारिसान को कोई ऐतराज नही था। इसके बाद अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट नं0 2 की माता ऐमना का दिनांक 28.06.2018 का देहान्त हो गया। एमना के देहान्त के बाद अपीलान्ट जो पढे लिखे शिक्षित व समझदार होने से फौती इन्तकाल अपीलान्ट्स व अन्य वारिसान जैतून, जुबेदा, जरीना, महबूबी, सकीरा के नाम तस्दीक करवाया जिसके अनुसार विवादित जमीन मे प्रत्येक का 1/7 हिस्सा हुआ एवं जमीन का हिस्सा सही होने पर जमीन के किसी भी खातेदार काश्तकार अथना अपीलान्ट्स को कोई ऐतराज नही था। दिनांक 05.03.2021 को खातेदार काश्तकार जैतुन, जुबेदा, जरीना व सकीरा का 1/7 प्रत्येक का अपीलान्ट्स ने दिनांक 05.03.2021 को अपने हक मे उक्त जमीन का हकत्याग उप पंजीयक झुंझुनूं के यहां तस्दीक करवा लिया। तत्पश्चात् उक्त भूमि पर अपीलान्ट नं0 1 इलियास ने बैंक भूमि रहन रख कर से ऋण ले लिया। अपीलान्ट्स ने जमीन बेचान को रोकने के

A4/3

उद्देश्य से यह अपील पेश की है। अपीलान्ट्स की अपील मियाद बाहर है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 3 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट्स के पिता याकूब का दिनांक 10.01.2011 को देहान्त होने पर 7 वारिसान इलियास, इसाक, जैतून, जरीना, महबूबी, एमना व सकीरा के नाम याकूब के समस्त वारिसान की मौजूदगी मे भरा जाकर प्रत्येक का 1/8 हिस्सा दर्ज हुआ जिस पर अपीलान्ट् व अन्य वारिसान को कोई ऐतराज नही था। तब अपीलान्ट्स ने नामान्तरकरण को सही माना। इसके बाद अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट नं0 2 की माता ऐमना का दिनांक 28.06.2018 का देहान्त हो जाने पर अपीलान्ट्स मुस्लिम विधि के अनुसार हिस्सा चाहते है। मुझ रेस्पोडेन्ट सं0 3 ने रेस्पो0 सं0 2 महबूबी से जमीन क्रय की है और सका 1/7 हिस्सा क्रय किया है। अपीलान्ट द्वारा पिता के देहान्त के समय नामान्तरकरण मे हिस्से पर कोई ऐतराज नही किया और माता ऐमना के देहान्त के बाद मुस्लिम विधि से हक व हिस्सा प्राप्त करने हेतु गलत अपील पेश की है। अपीलान्ट ने पूर्व के नामान्तरकरण को मुस्लिम विधि के अनुसार चैलेंज नही किया। अपीलान्ट की अपील सारहीन है। अपीलान्ट्स की अपील मियाद बाहर है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (रेस्पो0 सं0 1) ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण नियमानुसार भरा गया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि वाके ग्राम नयासर, पटवार हल्का नयासर मे स्थित जमीन हाल खसरा नं0 320 किता 1 रकबा 1.81 हैक्टर भूमि की 1/8 हिस्से की खातेदार अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं0 2 की माता ऐमना के नाम रही है। अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट नं0 2 की माता ऐमना का दिनांक 28.06.2018 को देहान्त हो जाने पर अपीलान्ट्स मुस्लिम विधि के अनुसार हिस्सा चाहते है जिसके लिए नामान्तरकरण संख्या 320 दिनांक 30.06.2020 को निरस्त करवाने के लिए अपीलान्ट्स ने यह अपील पेश की है परन्तु अपीलान्ट्स के पिता याकूब का दिनांक 10.01.2011 को देहान्त होने पर 7 वारिसान इलियास, इसाक, जैतून, जरीना, महबूबी, एमना व सकीरा के नाम याकूब के समस्त वारिसान की मौजूदगी मे भरा जाकर प्रत्येक का 1/8 हिस्सा दर्ज हुआ जिस पर अपीलान्ट् व अन्य वारिसान को कोई ऐतराज नही था। तब अपीलान्ट्स ने नामान्तरकरण को सही माना था। पिता की मृत्यु के समय पहले भरे गये नामान्तरकरण को अपीलान्ट्स सही मानते है परन्तु माता की मृत्यु के समय दूसरे भरे गये नामान्तरकरण को अपीलान्ट्स सही नही मानते है। दूसरी बार भरे गये नामान्तरकरण सं0 320 को मुस्लिम विधि मे भरा जाना हम न्यायोचित एवं कानून संगत नही मानते है। क्योंकि उक्त परिस्थितियों मे **Principle of Estopple** लागू होता है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनू 11/01/22